



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25112021-231355
CG-DL-E-25112021-231355

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4488]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 24, 2021/ अग्रहायण 03, 1943

No. 4488]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 24, 2021/AGRAHAYANA 03, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2021

का.आ. 4855(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; यह समाधान हो जाने के पश्चात कि झारखण्ड राज्य के देवघर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114ए कि.मी. 141.000 से कि.मी. 184.000 तक के भूखण्ड (देवघर-सारठ-मधुपुर सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है; ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा,

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम पदाधिकारी, अर्थात् CALA, देवघर, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा, और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आनेवाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

झारखण्ड राज्य के देवघर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-114ए के कि.मी. 141.000 से कि.मी. 184.000 तक (देवघर-सारठ-मधुपुर खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: झारखंड		जिले का नाम: देवघर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: अलुवारा					
गांव का नाम: डुमरिया					
1	861	निजी	एग्रिकल्चर	0.1700000(एकर)	0.0687981
तालुक का नाम: बंदाजोरी					
गांव का नाम: देवाली					
1	1	सरकारी	परती	0.6000000(एकर)	0.2428167
2	7	सरकारी	परती	0.4500000(एकर)	0.1821125
तालुक का नाम: बाभनगामा					
गांव का नाम: फुटाबांध					
1	23	सरकारी	परती कदीम	0.1300000(एकर)	0.0526103
तालुक का नाम: भीखना					
गांव का नाम: तितमो					
1	366	सरकारी	परती कदीम	0.5600000(एकर)	0.2266289
तालुक का नाम: नारंगी					
गांव का नाम: सिंघरायडीह					
1	2	सरकारी	परती कदीम	0.3399997(एकर)	0.1375961
तालुक का नाम: सारठ					
गांव का नाम: मुरचुरा					
1	1	सरकारी	परती कदीम	0.7300000(एकर)	0.2954270

2	2	सरकारी	परती कदीम	0.2600000(एकर)	0.1052206
तालुक का नाम: सिरसा					
गांव का नाम: रांगा					
1	12	सरकारी	पार्टी	0.6500000(एकर)	0.2630514
कुल				3.8900	1.5743

[फा. सं. RW/Ranchi/LA/Km.141to Km.184 of NH 114A/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2021

S.O. 4855(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH114A in the stretch of land from K.m. 141.000 to K.m. 184.000 (Deoghar-Sarath-Madhupur Section) in the District of Deoghar in the State of Jharkhand, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, The CALA, Deoghar in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from K.m. 141.000 to K.m. 184.000(Deoghar-Sarath-Madhupur Section) of the National Highway No. NH114A in the state of JHARKHAND.

State: JHARKHAND		District: DEOGHAR			
Sr. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Alwara					
Village: Dumaria					
1	861	Private	Agriculture	0.1700000(Acre)	0.0687981
Taluk: Bandajori					
Village: Devali					
1	1	Government	Parti	0.6000000(Acre)	0.2428167
2	7	Government	Parti	0.4500000(Acre)	0.1821125
Taluk: Bavangama					

Village: Futabandh					
1	23	Government	Parati kadim	0.1300000(Acre)	0.0526103
Taluk: Bhikhna					
Village: Titmo					
1	366	Government	Parati kadim	0.5600000(Acre)	0.2266289
Taluk: Narangi					
Village: Singhraidih					
1	2	Government	Parati kadim	0.3399997(Acre)	0.1375961
Taluk: Sarath					
Village: Murchura					
1	1	Government	parti	0.7300000(Acre)	0.2954270
2	2	Government	parti	0.2600000(Acre)	0.1052206
Taluk: Sirsa					
Village: Ranga					
1	12	Government	parti	0.6500000(Acre)	0.2630514
Total				3.8900	1.5743

[F. No. RW/Ranchi/LA/Km.141to Km.184 of NH 114A/3A]

RAJESH GUPTA, Director